''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 288] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 नवम्बर 2006—कार्तिक 19, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2006

अधिसूचना

क्रमांक 13164/21-अ/प्रारूपण/छ. ग./2006.—छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम, 1996 (क्रमांक 26 सन् 1997) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला-सरगुजा के इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी/1449/21-अ/प्रा./छ. ग./2001, दिनांक 30 मार्च, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

1. उक्त अधिसूचना के सरल क्र. 67 में कालम 4 के खंड 11 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जावे, अर्थात्:—

   ''12 मुरका''

2. उक्त अधिसूचना के सरल क्र. 68 में कालम 4 खंड 12 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जावे, अर्थात्:—

   ''13 सरगंवा''
   ''14 अतौरी''

3. उक्त अधिसूचना के सरल क्र. 69 में कालम 4 खंड 12 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जावे, अर्थात् :—

"12 कृष्णनगर"
"14 जतरों"

4. उक्त अधिसूचना के सरल क्र. 70 में कालम 2 एवं कालम 3 में बलरामपुर को विलोपित कर उसके स्थान पर कालम 2 एवं कालम 3 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :—

"सरनाडीह"

5. उक्त अधिसूचना के सरल क्रमांक 70 में कालम 4 खंड-1 बलरामपुर को विलोपित कर दिया जावे.

Raipur, the 8th November 2006

NOTIFICATION

No. 13164/XXI-A/Drafting/C. G./06.—In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Chhattisgarh Gram Nyayalaya Adhiniyam, 1996 (No. 26 of 1997), the State Government hereby makes the following amendment of this Department Notification No. D/1449/XXI-B/Draft/C. G./01, dated 30th March, 2001 relating to District Sarguja, namely;—

AMENDMENT

In the Said Notification ;—

1. After No. 11 of column 4 in serial No. 67, the following shall be inserted, namely :—

"12 Murka"

2. After No. 12 of column 4 in serial No. 68, the following shall be inserted, namely :—

"13 Sarganwa"
"14 Atouri"

3. After No. 12 of column 4 in serial No. 69, the following shall be inserted, namely :—

"13 Krishn Nagar"
"14 Jatro"

4. In Column 2 and 3 of Serial No. 70 in place of Balrampur, the following shall be substituted, namely :—

" Sarnadih"

5. No. 1 of Column 4 of serial No. 70 the following shall be omitted, namely :—

"Balrampur"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार पोद्दार, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.